78

फा. सं. 13035-14/2017/रा.भा.ए.

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राजभाषा प्रभाग

******

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 27 सितंबर, 2018

विषय:- मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिये जाने वाले हिन्दी विज्ञापनों पर व्यय के संबंध में।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिए जाने वाले हिन्दी विज्ञापनों के संबंध में संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश इस मंत्रालय के दिनांक 08 जून, 2017 के परिपत्र संख्या 13035-5/2017-रा.भा.ए. के अंतर्गत मंत्रालय के सभी ब्यूरो तथा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों और तत्पश्चात् पुनः दिनांक 22 सितंबर, 2017 के समसंख्यक पत्र द्वारा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों को परिचालित किए गए थे। दिनांक 11 जनवरी, 2018 के समसंख्यक परिपत्र द्वारा माननीय समिति के आदेशों को पुनः दोहराया गया था।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने हाल ही में इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के निरीक्षणों के दौरान इन आदेशों का अनुपालन न किए जाने पर अत्यंत असंतोष व्यक्त किया। महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश एतद्द्वारा पुनः दोहराए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं:

"मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिन्दी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।"

उक्त आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए **उसकी सूचना उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें।**

संजय

(संजय कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 2338 3432

फैक्स: 2338 1264

प्रतिलिपि:-

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के सभी ब्यूरो।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय।
3. सीएमआईएस यूनिट को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
4. गार्ड फाइल।